सचिव
माननीय राज्यपाल, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजभवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान,
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक : एफ.30(2)आरबी / 2025 / 5018
दिनांक : 11 सितम्बर, 2025

डॉ. आलोक त्रिपाठी,
कुलगुरू,
सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं
दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।

महोदय,

आदेश क्रमांक 1021–1022 दिनांक 25.02.2025 के द्वारा प्रो. प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलगुरू, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को कामचलाऊ व्यवस्था (Stop-gap arrangement) अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया गया था।

राजभवन के आदेश क्रमांक 4997–98 दिनांक 11.09.2025 के माध्यम से प्रो. प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलगुरू, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं कार्यवाहक कुलगुरू, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर को दिनांक 12.09.2025 को मध्यान्ह् पश्चात् से कुलगुरू पद से कार्यमुक्त किया गया है। जिसके कारण उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में कुलगुरू का पद रिक्त हो गया है।

उपर्युक्त क्रम में निवेदन है कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर में नियमित कुलगुरू की नियुक्ति में समय लगने की संभावना प्रतीत होती है। साथ ही उक्त विश्वविद्यालय में कामचलाऊ व्यवस्था किये जाने हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में भी समय लगने की संभावना प्रतीत होती है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा डॉ. आलोक त्रिपाठी, कुलगुरू, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर में कामचलाऊ व्यवस्था हेतु अतिरिक्त प्रभार के रूप में लगाये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः मैं, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार आपको अग्रिम आदेशों अथवा राज्य सरकार से उक्त संबंध में सलाह प्राप्त होने तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

सादर।

भवदीय,

(डॉ. पृथ्वी)

क्रमांक : एफ.30(2)आरबी / 2025 / 5018 दिनांक : 11 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. कुलगुरू, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान